JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आर्थिक विश्लेषण

विजयश्री मालवीय
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
शास. कुसुम महाविद्यालय
सिवनी–मालवा (म.प्र.)

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों में संलग्न है। कृषि क्षेत्र भारत के सकल घरलू उत्पाद (जीडीपी) के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1.3 अरब है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.9 प्रतिशत है, जबकि देश का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है और भारत में उपलब्ध कुल जल संसाधन विश्व में उपलब्ध कुल जल संसाधनों के केवल 5 प्रतिशत हैं। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व होने के बावजूद भी भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात् से ही कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये कइ महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, जिससे देश के कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में विश्व के कुल कृषि क्षेत्र के 11 प्रतिशत के साथ भारत कृषि उत्पादन मे विश्व में दूसरे स्थान पर है। इसका पूरा श्रेय सरकार द्वारा किये गये कृषि सुधार के उपायों, कृषकों के कल्याणार्थ संचालित की जा रही योजनाओं को जाता है।

मध्यप्रदेश में कृषि तथा कृषि से जुड़े व्यवसाय मुख्य रूप से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आधार हैं। पदेश की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या (72 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इनमें से 35 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति (15.6 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति (21. 1 प्रतिशत) के पास जोत सीमा बहुत कम है तथा विभिन्न कारणों से ये समुचित कृषि उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल 27.15 प्रतिशत लघु कृषक हैं, जिनकी जोत धारिता एक से दो हेक्टेयर है। प्रदेश में सीमांत कृषको की संख्या 48.3 प्रतिशत है, जिनके पास

अधिकतम 1 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। प्रदेश में कृषि की अभी भी मानसून के ऊपर निर्भरता है। प्रदेश के जिन जिलों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं कृषि विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित जिलों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

अध्ययन का उद्देश्य –

देश के कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण तथा कृषि सुधार को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हुए मध्यप्रदेश में इस योजना के सामान्य एवं आर्थिक पक्षों का विश्लेषण करना इस शोधपत्र का उद्देश्य है।

शब्द संकेत –

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–आवश्यकता, उद्देश्य, कृषकों पर आर्थिक प्रभाव।

प्रस्तावना –

भारत में कृषि मानसून पर निर्भर है। भारतीय कृषक को कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक चुनौती मौसम से ही प्राप्त होती है। मौसम में अचानक परिवर्तन होने, पाला पड़ने, अति वृष्टि, प्राकृतिक आपदा एवं रोगों के कारण फसल के नष्ट हाने पर अथवा उत्पादन में कमी रह जाने पर कृषकों को आर्थिक नुकसान होता है, जिससे उनके एवं परिवार के समक्ष अनेक संकट उत्पन्न हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने अथवा उत्पादन में कमी होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया है। यह योजना सम्पूर्ण देश मे लागू है। इस योजना का केन्द्रीय नोडल विभाग कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट हो जाने पर सर्वेक्षण उपरांत कृषकों को मुआवजा देने का कार्य किया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये कृषक ऑनलाइन विधि से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं और प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य –

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषकों को फसल से हुए नुकसान से बचाने हेतु एक सकारात्मक प्रयास है, जो निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है –

1. आकस्मिक प्राकृतिक आपदा के कारण पीड़ित कृषकों को फसल को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
2. कृषकों की आय को सुदृढ़ बनाना, जिससे वे अपना कृषि कार्य जारी रख सकें।
3. कृषकों को आधुनिक एवं नवीन कृषि सुधार उपाय अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।

4. कृषकों को उत्पादन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करते हुए कृषि कार्य हेतु ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।
5. कृषि क्षेत्र से सम्बंधित खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना।

हितग्राही/पात्र कृषक –

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतंर्गत अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल का उत्पादन करने वाले देश के समस्त कृषक पात्र हैं। इन कृषकों में बटाइदार और काश्तकार भी शामिल हैं तथा ऋणी तथा गैर–ऋणी कृषक भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिये फसल का बीमा होना अनिवार्य है।

बीमाकृत फसल –

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतंर्गत निम्न फसलें बीमाकृत हैं –

1. खाद्यान्न फसलें (मोटा अनाज एवं दलहन)
2. तिलहन
3. वार्षिक वाणिज्यिक फसलें
4. वार्षिक बागवानी फसलें

योजना के प्रावधान –

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं –

1. अल्प वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं में बुआई अथवा रोपण के बाधित होने पर होने वाला नुकसान।
2. फसल की बुआई से लेकर कटाई तक होने वाले गैर–बाधित जोखिमों, जैसे– सूखा, कृषि रोग, बाढ़, जल भराव, भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा (अग्नि दुर्घटना, आकाशीय बिजली, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि, भंवर, बवंडर) आदि से नुकसान।
3. फसल कटाई के उपरांत किसी फसल को काटे जाने के अधिकतम दो सप्ताह के अंदर चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं गैर–मौसमी वर्षा से होने वाला नुकसान।

योजना की सीमाएं –

अधिसूचित क्षेत्र से पृथक कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, जल भराव, भूस्खलन आदि मामलों से होने वाला नुकसान, युद्ध अथवा नाभिकीय जोखिम से होने वाली हानियां, दुर्भावनाजनित क्षतियां और अन्य निवारणीय जोखिमों से होने वाले नुकसान आदि की क्षतिपूर्ति सम्बंधी प्रावधान इस योजना में शामिल नहीं हैं।

हानियों का सर्वेक्षण एवं योजना का क्रियान्वयन –

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हानियों के सर्वेक्षण एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रावधान हैं –

1. राज्य सरकार की संयुक्त समिति और फसल क्षति से सम्बंधित मूल्यांकन बीमा कारक प्रत्येक जिले के लिये एस.एल.सी.सी.सी. द्वारा फसल अवधि प्रारंभ होने के पूर्व ही स्थापित एवं अधिसूचित कर दिया जाता है।
2. राज्य सरकार की संयुक्त समिति द्वारा पीड़ित कृषक को भुगतान की पात्रता सम्बंधी निर्णय मौसम सम्बंधी आंकड़े (सरकार द्वारा अधिसूचित स्वचालित मौसम केन्द्र द्वारा जारी), दीर्घकालीन औसत वर्षा सम्बंधी आंकड़े, कृत्रिम उपग्रह चित्र आंकड़े और अधिसूचित बीमा इकाई स्तर पर अनुमानित उपज नुकसानों द्वारा अनुसमर्थित विवरण के आधार पर लिया जाता है।
3. नुकसान से सम्बंधित सूचना आदेश प्रतिकूल मौसमी अवधि से सात दिवस के अंदर जारी किया जाता है।
4. उपर्युक्त विवरण को दृष्टिगत रखते हुए आधारभूत कारक एवं नुकसान की सीमा जानने हेतु प्रभावित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण बीमा कम्पनी और राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।
5. पीड़ित कृषक को हुए नुकसान की सीमा का निर्धारण करने हेतु राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र की सूचनाओं अथवा उपलब्ध सेवाओं का उपयोग भी आवश्यकता होने पर किया जा सकता है।
6. यदि प्रभावित फसल का अपेक्षित नुकसान अधिसूचित बीमा इकाई की सामान्य उपज के 50 प्रतिशत से अधिक है, तो अग्रिम भुगतान किया जायेगा।

योजना की उपलब्धियां –

तालिका – 1

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आर्थिक पक्ष

क्र.	विवरण	खरीफ 2019	रबी 2019–20	खरीफ 2020	रबी 2020–21
1	बीमित किसान (संख्या लाख में)	37.28	34.39	44.54	35.33
2	बीमित क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)	51.71	47.45	70.71	51.64

3	प्रीमियम में किसानों का अंश (करोड़ रूपये)	310.07	201.67	559.47	301.94
4	प्रीमियम में राज्यांश (करोड़ रूपये)	1020.00	386.22	1737.19	972.75
5	प्रीमियम में केन्द्रांश (करोड़ रूपये)	1020.00	386.22	1737.19	972.75
6	कुल प्रीमियम (करोड़ रूपये)	2350.07	947.11	4033.85	22.47.14
7	दावा राशि भुगतान (करोड़ रूपये)	5562.73	53.62	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन
8	लाभान्वित किसान (संख्या लाख में)	24.50	0.97	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन

स्त्रोत – मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22

प्रीमियम की दरें और सबसिडी –

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों तथा मोटे अनाज पर प्रीमियम की दरें और सबसिडी की राशि योजना के प्रावधानों अनुसार देय है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम की दरें और सबसिडी की राशि अग्र तालिका के अनुसार देय है –

तालिका – 2

प्रीमियम की दरें और सबसिडी

क्रमांक	फसल	कृषक द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार
1	खरीफ (सभी खाद्यान्न एवं तिलहन फसलें तथा मोटा अनाज)	बीमित राशि का 2 प्रतिशत अथवा वीमांकी दर जो भी कम हो
2	रबी (सभी खाद्यान्न एवं तिलहन फसलें तथा मोटा अनाज)	बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत अथवा वीमांकी दर जो भी कम हो

स्त्रोत – प्रशासकीय प्रतिवेदन, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2021–22

निष्कर्ष –

जनसंख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश में पांचवे स्थान पर है। मध्यप्रदेश मे कृषि तथा कृषि से जुड़े व्यवसाय मुख्य रूप से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आधार हैं। प्रदेश की लगभग तीन

चौथाई जनसंख्या (72 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इनमें से 35 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति (15.6 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति (21.1 प्रतिशत) के पास जोत सीमा बहुत कम है तथा विभिन्न कारणों से ये समुचित कृषि उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल 27.15 प्रतिशत लघु कृषक हैं, जिनकी जोत धारिता एक से दो हेक्टेयर है। प्रदेश में सीमांत कृषको ंकी संख्या 48.3 प्रतिशत है, जिनके पास अधिकतम 1 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। प्रदेश में कृषि की अभी भी मानसून के ऊपर निर्भरता है। प्रदेश के जिन जिलों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं कृषि विकास की दृष्टि से अपक्षाकृत विकसित जिलों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने प्रदेश के कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल के नुकसान की भरपाई करने में वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनके मनोबल में वृद्धि की है, जिसके कारण प्रदेश के कृषकों की मानसिक परेशानियों का अंत हुआ है तथा प्रदेश के कृषि उत्पादन में वृद्धि दर्ज की जा रही है।

संदर्भ –

1. प्रशासकीय प्रतिवेदन, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2020–21, 2021–22
2. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, 2019–20, 2020–21, 2021–22
3. दैनिक भास्कर ई–समाचार–पत्र

————————